न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 86/2017

घुकरसिंह पुत्र सरबन सिंह जाति कुम्हार निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थी

बनाम

1. सरवनसिंह पुत्र प्रतापसिंह 2. गुरजन्टसिंह पुत्र सरवनसिंह 3. निहालसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह	जाति कुम्हार निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पॉडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 26.05.2017

उपस्थितिः—

श्री काशीराम रणवां, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विजय रेवाड, अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय दिनांक 18.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष एक वाद ठानासिंह बनाम सरबनसिंह पेश होने पर दौराने विचाराधीन प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वाद के निर्णय तक चक 4 एस.डी.एस. के प.नं. 66/121 मु.नं. 11 कि.नं. 10, 11, 19 से 22, प.नं. 65/121 मु.नं. 12 कि.नं. 3 का 5 बिस्वा, 16 से 18, प.नं. 67/124 मु.नं. 55 कि.नं. 10, प.नं. 67/123 मु.नं. 38 कि.नं. 11 से 15 की भूमि में अप्रार्थीगण दखल देने से बाज व ममनु रहे।

अप्रार्थी स. 1 व 2 ने जवाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 26.05.2017 को प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

18/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलांट का हक व हिस्सा बनता है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है जिसके विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था। अधी. न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तीनों कारकों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थी का प्रा. पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी रेस्पों. के नाम से अंकित है एवं रेस्पों. विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना विधिसम्मत नहीं है। अधी. न्यायालय ने राज.काश्त.अधि. की धारा 212 के तीनों कारकों यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थी/अपीलांट का प्रा.पत्र खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील अधिकारी
कोलायत (बीकानेर)